कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड

डाण्डा लखोण्ड, पो0ओ0 गुजराड़ा, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून

ई–मेल dghealth.uttarakhand@gmail.com दूरभाष 0135–2608763, फैक्स 0135–2608746

पत्र संख्याः–1प/रा0पु0/06/2024 टी0सी0/9496 दिनांक–21 अप्रैल, 2025

सेवा में,

1. **निदेशक**
   चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
   गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल,
   नैनीताल।

2. **समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी**
   उत्तराखण्ड

3. **समस्त प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक**
   उत्तराखण्ड।

4. **प्रधानाचार्य,**
   सम्भागीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
   प्रशिक्षण केन्द्र, मोतीनगर हल्द्वानी,
   नैनीताल/चन्द्रनगर, देहरादून।

विषयः– **चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के समस्त कार्मिकों को उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के प्रस्तर–23 (4) में दिये गये प्राविधानानुसार अनिवार्य स्थानान्तरण के पात्र कार्मिकों से अधिकतम 10 इच्छित स्थानो के लिए विकल्प प्राप्त करने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक महानिदेशालय के पत्र संख्या– 1प/रा0पु0/06/2024टी0सी0/9138, दिनांक 15.04.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके द्वारा चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत समस्त संवर्गो को उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के के प्रस्तर–23 (3) में दिये गये प्राविधानानुसार प्रत्येक संगर्व के लिए सुगम/दुर्गम क्षेत्र के कार्यस्थल, स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों तथा उपलब्ध एवं संभावित रिक्तियों की सूची चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की बेवसाइट https://health.uk.gov.in पर दिनांक 15.04.205 को प्रदर्शित की गई, तथा अपेक्षा की गयी थी कि यदि किसी चिकित्सा अधिकारी के सुगम एवं दुर्गम अवधि में कोई त्रुटि पाई जाती है एवं जिन चिकित्सको के सेवा विवरण अंकित नही किया गया है तो उन चिकित्सकों का पूर्ण तैनातियों का विवरण भी अपने नियंत्रक अधिकारी के माध्यम से दिनांक 19.04.2025 तक ई–मेल (karmik1dgmhuk@gmail.com) एवं विशेष पत्र वाहक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से महानिदेशालय को उपलब्ध करे, परन्तु आतिथि तक कोई सूचना महानिदेशालय को प्राप्त नही हुई है।

इस क्रम में अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के के प्रस्तर–23 (3) में दिये गये प्राविधानानुसार अनिवार्य स्थानान्तरण के पात्र कार्मिकों से अधिकतम 10 इच्छित स्थानो के लिए विकल्प मांगे जाने की तिथि 20 अप्रैल निर्धारित की गयी है।

अतः पी0एम0एच0सवंर्ग के समस्त चिकित्सकों जिनकी सूचना अभी तक महानिदेशालय को प्राप्त नही हुयी है की सूचना एवं अनिवार्य स्थानान्तरण के पात्र कार्मिकों से अधिकतम 10 इच्छित स्थानो के लिए विकल्प पत्र निर्धारित समय पर ई–मेल (karmik1dgmhuk@gmail.com) एवं विशेष पत्र वाहक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से महानिदेशालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करे।

भवदीय,

(वी0पी0 सिंह)
सहायक निदेशक (प्रशासन)

संख्याः–1प / रा0पु0 / 06 / 2024 टी0सी0 / 9597 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः–

1. डा0 कुलदीप मर्तोलिया, नोडल अधिकारी (आई0टी0 सैल), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त पत्र को बेव साइड पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित।
2. अपर निदेशक / संयुक्त निदेशक / सहायक निदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. गार्ड फाईल।

(वी0पी0 सिंह)
सहायक निदेशक (प्रशासन)